विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
1.	प्राक्कथन		ix
2.	कार्यकारी सारांश		xi
	अध्याय-1: विहंगावलोकन		
3.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा	1.1	1
4.	रा.रा.क्षे. दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1
5.	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
6.	सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5
7.	वित्त का आशुचित्र	1.3.1	8
8.	सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र	1.3.2	10
9.	अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां	1.4	10
	अध्याय-2: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्त		
10.	वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रमुख राजकोषीय संचयनों में मुख्य बदलाव	2.1	13
11.	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	2.2	14
12.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के संसाधन	2.3	15
13.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की प्राप्तियां	2.3.1	15
14.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	16
15.	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां तथा वृद्धि	2.3.2.1	16
16.	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के स्वयं के संसाधन	2.3.2.2	19
17.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	2.3.2.3	26
18.	केंद्र प्रायोजित योजनाएं	2.3.2.4	27
19.	एकल नोडल एजेंसी	2.3.2.5	33
20.	पूंजीगत प्राप्तियां	2.3.3	34
21.	संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	35
22.	व्यय की वृद्धि और संरचना	2.4.1	35
23.	राजस्व व्यय	2.4.2	39
24.	राजस्व व्यय में मुख्य बदलाव	2.4.2.1	40
25.	प्रतिबद्ध व्यय	2.4.2.2	41

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
26.	सब्सिडी	2.4.2.3	45
27.	रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	2.4.2.4	47
28.	पूंजीगत व्यय	2.4.3	49
29.	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	2.4.3.1	50
30.	निवेश और रिटर्न	2.4.3.2	51
31.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (एसपीएसई), रा.रा.क्षे.दि.स. की इक्विटी और बकाया ऋण का वित्त लेखाओं के आंकड़ों के साथ मिलान	2.4.3.3	52
32.	सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता	2.4.4	53
33.	सार्वजनिक दायित्व प्रबंधन	2.5	54
34.	सरकारी खातों से बाहर की धनराशि	2.5.1	54
35.	ऋण प्रोफ़ाइल: संघटक	2.5.2	56
36.	ऋण प्रोफ़ाइल की परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.5.3	57
37.	ऋण धारणीयता	2.6	58
38.	निष्कर्ष	2.7	62
अध्याय-3: बजटीय प्रबंधन			
39.	बजटीय प्रक्रिया	3.1	63
40.	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों का संक्षिप्त विवरण	3.1.1	64
41.	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	3.1.2	65
42.	विनियोजन लेखे	3.2	66
43.	बजट लक्ष्य-प्राप्ति	3.2.1	67
44.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	68
45.	अनावश्यक या अधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.1	68
46.	अनावश्यक या अधिक पुर्नविनियोजन	3.3.2	69
47.	अव्ययित राशि एवं अभ्यर्पित विनियोजन और/या बड़ी बचत/अभ्यर्पण	3.3.3	69
48.	बजटीय एवं लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियां	3.4	70
49.	एकमुश्त बजटीय प्रावधान	3.4.1	70

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
50.	बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	3.5	71
51.	बजट प्रक्षेपण एवं अपेक्षा तथा वास्तविक के बीच अंतर	3.5.1	71
52.	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणा एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण	3.5.2	74
53.	व्यय की अधिकता	3.5.3	74
54.	केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत अनुदान के उपयोग में कमी	3.5.4	77
55.	चयनित अनुदान की समीक्षा ("अनुदान संख्या 06-शिक्षा")	3.6	77
56.	सिफ़ारिशें	3.7	82
अध्याय-4: लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रद्धति			
57.	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधियां	4.1	83
58.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलंब	4.2	83
59.	समाज कल्याण निदेशालय	4.2.1	86
60.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस)	4.2.2	87
61.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लिमिटेड (डीटीटीडीसी)	4.2.3	88
62.	नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी)	4.2.4	89
63.	दिल्ली छावनी बोर्ड (डीसीबी)	4.2.5	90
64.	संक्षिप्त आकस्मिक बिल	4.3	90
65.	कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग (डीएसीएल)	4.3.1	94
66.	मुख्य निर्वाचन कार्यालय	4.3.2	96
67.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)	4.3.3	97
68.	व्यापार एवं कर विभाग (डीटीटी)	4.3.4	98
69.	परिवहन विभाग	4.3.5	99
70.	व्यक्तिगत जमा खाते	4.4	101
71.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश (डीजे-4) साउथ कोर्ट, साकेत	4.4.1	103
72.	भूमि एवं भवन विभाग	4.4.2	103
73.	लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	4.5	104
74.	स्वायत निकायों के लेखाओं/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति	4.6	108

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
75.	वित्त लेखाओं के विवरणों में अन्य अशुद्धियां	4.7	109
76.	दिल्ली राज्य वित्त आयोग	4.8	113
अध्याय-5: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम			
77.	सरकारी कंपनियों की परिभाषा	5.1	115
78.	लेखापरीक्षा का अधिदेश	5.2	115
79.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम तथा राज्य की स.रा.घ.उ. में उनका योगदान	5.3	116
80.	एसपीएसई में निवेश तथा बजटीय सहायता	5.4	117
81.	एसपीएसई में इक्विटी होल्डिंग तथा ऋण	5.4.1	117
82.	एसपीएसई में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण	5.4.2	118
83.	विनिवेश, पुनर्गठन और निजीकरण	5.4.3	118
84.	एसपीएसई से रिटर्न	5.5	118
85.	एसपीएसई द्वारा अर्जित लाभ	5.5.1	118
86.	एसपीएसई द्वारा भुगतान किया गया लाभांश	5.5.2	119
87.	ऋण सर्विसिंग	5.6	120
88.	ब्याज कवरेज अनुपात	5.6.1	120
89.	एसपीएसई का वित्तीय निष्पादन	5.7	121
90.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	5.7.1	121
91.	एसपीएसई द्वारा इक्विटी पर रिटर्न	5.7.2	122
92.	निवेश पर रिटर्न	5.7.3	123
93.	सरकारी निवेशों पर वास्तविक रिटर्न की दर (आरओआरआर)	5.7.4	123
94.	हानि में चल रहे एसपीएसई	5.8	126
95.	उठाई गई हानि	5.8.1	126
96.	एसपीएसई में पूंजी का अपक्षरण	5.8.2	126
97.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	5.9	127
98.	सीएजी द्वारा सरकारी कंपनियों के वैधानिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	128
99.	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.11	128
100.	वार्षिक रिपोर्ट और लेखाओं के समय पर प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता	5.11.1	128

क्र.सं.	विषय	पैराग्राफ	पृष्ठ सं
101.	सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखे तैयार करने में समयबद्धता	5.11.2	129
102.	वैधानिक निगमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता	5.11.3	129
103.	सीएजी निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा तथा पूरक लेखापरीक्षा	5.12	130
104.	वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा	5.12.1	130
105.	वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.12.2	130
106.	सरकारी कंपनियों के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा	5.12.3	131
107.	सीएजी की निरीक्षण भूमिका का परिणाम	5.13	131
108.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा	5.13.1	131
109.	वैधानिक निगम जहां सीएजी एकमात्र/पूरक लेखापरीक्षक है	5.13.2	132
110.	निष्कर्ष	5.14	132
111.	सिफारिशें	5.15	132
112.	***परिशिष्टों की सूची***		*vi*
113.	***पारिभाषिक शब्दावली***		177

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 1.1	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जनसंख्या-रूपरेखा	135
परिशिष्ट 1.2	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के वित्त पर समय क्रमांक आंकड़े	136
परिशिष्ट 3.1	उन मामलों का विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (₹ एक करोड़ या अधिक) अनावश्यक साबित हुआ	138
परिशिष्ट 3.2	निधियों का अधिक्य/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ 15 करोड़ से अधिक थी	139
परिशिष्ट 3.3	वर्ष 2022-23 के दौरान बड़ी बचत (₹ 500 करोड़ से अधिक की बचत) वाले अनुदान का विवरण	142
परिशिष्ट 3.4	मार्च 2023 के अंत में व्यपगत बचत (₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण	143
परिशिष्ट 3.5	वर्ष 2022-23 के दौरान किए गए एकमुश्त प्रावधानों का विवरण	146
परिशिष्ट 3.6	योजनाएं जिनके लिए संशोधित परिव्यय (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	147
परिशिष्ट 3.7	योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया, लेकिन संशोधित परिव्यय में वापस ले लिया गया था	152
परिशिष्ट 3.8	केवल मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय पर अनुदान	157
परिशिष्ट 3.9	केंद्र प्रायोजित योजनाएं जिनके लिए प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	158
परिशिष्ट 3.10	2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान अनुदान संख्या-6-शिक्षा में निधियों का अतिरिक्त/अनावश्यक पुनर्विनियोग जहां अंतिम बचत ₹ एक करोड़ से अधिक थी	159
परिशिष्ट 3.11	अनुदान संख्या: 06-शिक्षा के तहत संशोधित अप्रयुक्त परिव्यय (₹ एक करोड़ या अधिक)	162
परिशिष्ट 3.12	अनुदान सं. 06-शिक्षा के अंतर्गत व्यय की अधिकता	165
परिशिष्ट 5.1	एसपीएसई की सूची	167
परिशिष्ट 5.2	31 मार्च 2023 तक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से संबंधित इक्विटी और बकाया ऋण की स्थिति दर्शाने वाला विवरण	168

परिशिष्ट		
परिशिष्ट 5.3	नवीनतम वर्ष के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय परिणामों का सारांश, जिसके लिए खाते प्राप्त हुए हैं	170
परिशिष्ट 5.4	सरकारी कंपनियों की लाभप्रदता पर टिप्पणियों का प्रभाव	172
परिशिष्ट 5.5	सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	174
परिशिष्ट 5.6	वैधानिक निगमों की लाभप्रदता और वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियों का प्रभाव	176